न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 64/2020 निर्णय दिनांक 02.11.2020

ईश्वरमल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी कितासर बिदावतन तहसील श्रीडूगरगढ जिला बीकानेर।

-----प्रार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूगरगढ

-----अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी
2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से।

अर्न्तगत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956।

यह वाद ईश्वरमल ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 209 तादादी 4.9700 हैक्टेयर रोही कितासर बिदावतान व खसरा नम्बर 1759/469 तादादी 5.1900 हैक्टेयर रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेत की खातेदारी प्रार्थी व प्रार्थी के भाई–माता के नाम सयूक्त खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा की खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ने जब उपरोक्त खसरान की भुमि पर केसीसी बनाने हेतु हल्का पटवारी से सर्म्पक किया व जमाबन्दी की नकल दिनांक 05.10.2020 को निकलवाई तो प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 209 तादादी 4.9700 हैक्टेयर रोही कितासर बिदावतान व खसरा नम्बर 1759/469 तादादी 5.1900 हैक्टेयर रोही बिग्गा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से ईश्वरचन्द पुत्र भवरलाल अंकित चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम शुरू से ही ईश्वरमल पुत्र भवरलाल रहा है प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त विरास्तन दर्ज इंतकाल में प्रार्थी का नाम ईश्वरचन्द्र अंकित कर दिया है। प्रार्थी साक्षर व कृर्षि पेशा व्यक्ति है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चले आ रहे अपने नाम की कभी कोई जानकारी नही रही है प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर ही उक्त जानकारी हुई है प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र,पेन–कार्ड, बैंक–पासबूक, सरपंच कार्यालय ग्राम पचायत कितासर बिदावतन में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम ईश्वरमल पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी कितासर बिदावतान अंकित चला आ रहा है। प्रार्थी को गांव, रिश्तेदारी, जान–पहचान, मित्रगण सभी ईश्वरमल के नाम से जाना–पहचाना जाता है। वादगत खसरा भुमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरा की भुमि के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम ईश्वरमल पुत्र भंवरलाल जाति जाट अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भुमि में प्रार्थी का गलत नाम ईश्वचन्द अंकित होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरा भुमि पर केसीसी बनाने टूबेल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ र[illegible]गत खसरा भुमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित [illegible] प्रार्थी ने दिनांक 05.10.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि [illegible] नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वंश वशावली हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद [illegible] रूप से ईश्वरचन्द अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा [illegible] नाम ईश्वमल अंकित [illegible] देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी ने प्रार्थी के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:04:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

Scanned with CamScanner

उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पडेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम दर्ज नही होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

1. यह है कि वादगत भुमि ग्राम कितासर बिदावतान व बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
2. यह है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:–

खेत खसरा नम्बर 209 तादादी 4.9700 हैक्टेयर रोही कितासर बिदावतान खसरा नम्बर 1759 / 469 तादादी 5.1900 हैक्टेयर रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम ईश्वरचन्द अंकित हुआ है उसकी जगह ईश्वरमल पुत्र भवंरलाल अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी से करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 209 तादादी 4.9700 हैक्टेयर रोही कितासर बिदावतान व खसरा नम्बर 1759 / 469 तादादी 5.1900 हैक्टेयर रोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम ईश्वरचन्द अंकित हुआ है उसकी जगह ईश्वरमल पुत्र भवंरलाल नाम शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक .10.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:04:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner